भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1120
08 दिसंबर, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मानसिक स्वास्थ्य

1120. श्री संजय काका पाटील:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को देश में बढ़ते मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की जानकारी है और जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार देश में मानसिक स्वास्थ्य महामारी से निपटने के लिए प्रमुख राज्य सरकारों और हितधारकों के साथ हस्तक्षेप में सुधार करने हेतु मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए राष्ट्रीय स्तर का एक निकाय बनाने का विचार रखती है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (प्रो. एस.पी.सिंह बघेल)

(क) और (ख): देश के 12 राज्यों में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निम्हांस), बेंगलुरू के माध्यम से सरकार द्वारा कराए गए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, 18 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों में सामान्य मानसिक विकारों, गंभीर मानसिक विकारों और शराब और मन: प्रभावी पदार्थ के उपयोग संबंधी विकारों (तम्बाकू उपयोग विकार को छोड़कर) सहित मानसिक विकारों की व्याप्तता लगभग 10.6% है। सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष निम्नानुसार हैं-

(i) शहरी महानगरीय क्षेत्रों में मानसिक रुग्णता की व्याप्तता अधिक है।
(ii) मानसिक विकार कई गैर-संचारी विकारों (एनसीडी) के कारण और परिणामों दोनों से घनिष्ठ रूप से संबद्ध हैं।
(iii) लगभग 40 में से 1 और 20 में से 1 व्यक्ति क्रमशः पुराने और वर्तमान अवसाद से पीड़ित हैं।
(vi) न्यूरोसिस और तनाव से संबंधित विकार 3.5% जनसंख्या को प्रभावित करते हैं और सूचना के अनुसार महिलाओं में ये विकार अधिक (पुरुषों की तुलना में लगभग दोगुने) पाए गए थे।
(v) आंकडे़ दर्शाते हैं कि सर्वेक्षण की गई आबादी में 0.9% में आत्महत्या का जोखिम अधिक था।
(vi) प्रमुख अवसादग्रस्तता विकारों वाले लगभग 50% व्यक्तियों ने अपने दैनिक कार्यकलाप करने में कठिनाइयॉ होने की सूचना दी।

(ग) और (घ): लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर कोविड-19 के प्रभाव को समझते हुए, सरकार ने सभी प्रभावित आबादी जिसे विद्यार्थियों, वयस्कों, बुजुर्गों, महिलाओं और स्वास्थ्य कर्मियों जैसे विभिन्न लक्ष्य समूहों में विभाजित किया गया है, को मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए 24/7 हेल्पलाइन की स्थापना हैं। इसके साथ-साथ सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के लिए मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के प्रबंधन हेतु दिशानिर्देश/सलाह जारी की गई है।

देश में गरीब और अल्पसेवित वर्ग सहित किफायती और सुलभ मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार देश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) कार्यान्वित कर रही है । एनएमएचपी के जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) घटक को 738 जिलों में कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी गई है जिसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है। डीएमएचपी के अंतर्गत, निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ लक्षित कार्यकलापों के लिए कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त प्रत्येक जिले को पर्याप्त निधियां प्रदान की जाती हैं:

(i) कक्षा-प्रभारी अध्यापकों को सहयोगात्मक कौशल में प्रशिक्षित करना ताकि वे अपने छात्रों में जीवन की कुशलताओं को बढ़ावा दे सकें।

(ii) कक्षा-प्रभारी अध्यापकों को ऐसे कौशल और जानकारी के साथ प्रशिक्षित करना जिनसे वे अपने छात्रों में संवेदात्मक आचरण, विद्यालयी समस्या और नशीले पदार्थों के सेवन जैसी समस्याओं की पहचान कर सकें।

(iii) मनोवैज्ञानिक समस्याओं वाले छात्रों को जानकारी और उपचार के लिए जिला मानसिक स्वास्थ्य टीम के पास भेजने के लिए रेफरल प्रणाली प्रदान करना।

(iv) किशोरों के विकास को बढ़ावा देने के लिए अन्य हितधारकों जैसे कि माता-पिता, समुदाय के प्रमुख व्यक्तियों को सहभागी बनाना आदि।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए भी कदम उठा रही है। सरकार ने 1.6 लाख से अधिक एसएचसी, पीएचसी, यूपीएचसी और यूएचडब्ल्यूसी को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में अपग्रेड किया है। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में प्रदान की जाने वाली व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के तहत सेवाओं के पैकेज में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को जोड़ा गया है। आयुष्मान भारत के दायरे में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मानसिक, न्यूरोलॉजिकल और मादक द्रव्यों के उपयोग संबंधी विकारों (एमएनएस) पर परिचालन दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

उपर्युक्त के अलावा,सरकार ने देश में गुणवत्तापरक मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक पहुंच में और सुधार लाने के लिए 10 अक्टूबर, 2022 को 'राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम' की शुरूआत की है। 04.12.2023 तक, 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 46 टेली मानस सेल स्थापित किए हैं और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की हैं और हेल्पलाइन पर 4,81,000 से अधिक कॉल का निपटारा किया गया है।

*****